"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 जुलाई 2011—आषाढ़ 17, शक 1933

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जून 2011

क्रमांक ई-01-02/2011/एक/2.—श्री विजयेन्द्र, भा.प्र.से. (एएम-1991) अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल एवं सचिव, खनिज साधन विभाग तथा आयुक्त सह संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म को तत्काल प्रभाव से केवल अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के प्रभार से मुक्त किया जाता है.

2. श्री के. सुब्रमण्यम, भा.व.से., सचिव, मुख्य मंत्री, सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, आयुक्त सह संचालक, तकनीकी शिक्षा तथा नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

रायपुर, दिनांक 20 जून 2011

क्रमांक एफ 2-7/2010/1-8.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25 अप्रैल 2011 के तारतम्य में निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम नंबर 03 में दर्शाये गये नवीन पदस्थापना में कार्यभार ग्रहण करने हेतु एकपक्षीय कार्यमुक्त किया जाता है :—

क्रमांक	नाम व वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1.	श्री याकूब खेस्स उप सचिव, कृषि विभाग	जल संसाधन विभाग
2.	श्री के.डी. कुंजाम उप सचिव, श्रम विभाग, जल संसाधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार	जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त प्रभार से भारमुक्त करते हुए अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ कृषि विभाग का अतिरिक्त प्रभार.

रायपुर, दिनांक 20 जून 2011

क्रमांक एफ 2-15/2010/1-8.—श्री सी. जे. खत्री, संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्य विभाग को तत्काल प्रभाव से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री श्रवण कुमार सारस्वत, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्य विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, अतिरिक्त सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

शुद्धि पत्र

रायपुर, दिनांक 20 जून 2011

क्र. 4213/1692/21-ब/छ.ग./2011.—इस विभाग द्वारा जारी ज्ञापन क्र. 4004/1692/21-ब/छ.ग./2011, दि. 9-6-2011 में त्रुटिवश "अकलतरा, जिला बिलासपुर" लिखा है. उक्त ज्ञापन में जहां-जहां "अकलतरा, जिला बिलासपुर" अंकित हो, उसके स्थान पर, "अकलतरा, जिला जांजगीर-चांपा" पढ़ा जाय.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामन्तराय, सचिव.

रायपुर, दिनांक 14 जून 2011

क्र. 4094/1431/21-ब/छ.ग./2011.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री संतोष पाण्डेय, अधिवक्ता, रायपुर जिला-रायपुर को शासन की ओर से पैरवी करने के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए लोक अभियोजक रायपुर नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 14 जून 2011

क्र. 4098/1431/21-ब/छ.ग./2011.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री मणिमूर्ति अग्रवाल, अधिवक्ता, रायपुर जिला-रायपुर को शासन की ओर से पैरवी करने के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक रायपुर नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 14 जून 2011

क्र. 4102/1431/21-ब/छ.ग./2011.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री जयंत मनोहर, राजिम वाले अधिवक्ता, रायपुर जिला-रायपुर को शासन की ओर से पैरवी करने के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक रायपुर नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 14 जून 2011

क्र. 4106/1431/21-ब/छ.ग./2011.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री जगदीश कुमार अग्रवाल, अधिवक्ता, रायपुर जिला-रायपुर को शासन की ओर से पैरवी करने के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक रायपुर नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 14 जून 2011

क्र. 4110/1431/21-ब/छ.ग./2011.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री योगेन्द्र ताम्रकार, अधिवक्ता, रायपुर जिला-रायपुर को शासन की ओर से पैरवी करने के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक रायपुर नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 14 जून 2011

क्र. 4114/1431/21-ब/छ.ग./2011.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा श्रीमती सुलेखा पाण्डेय, अधिवक्ता, रायपुर जिला-रायपुर को शासन की ओर से पैरवी करने के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक रायपुर नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 14 जून 2011

क्र. 4116/1431/21-ब/छ.ग./2011.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा श्रीमती सुनीता तोमर, अधिवक्ता, रायपुर जिला-रायपुर को शासन की ओर से पैरवी करने के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक रायपुर नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 14 जून 2011

क्र. 4120/1507/21-ब/छ.ग./2011.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री सत्येन्द्र प्रकाश केशरवानी, नोटरी, जांजगीर-चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप, नोटरी अधिनियम 1952 की धारा 10 (अ) के अंतर्गत उनका नाम नोटरी रजिस्टर से हटाया जाता है.

रायपुर, दिनांक 14 जून 2011

क्र. 4122/1431/21-ब/छ.ग./2011.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा श्रीमती विश्वदिनी पाण्डेय, अधिवक्ता, रायपुर जिला-रायपुर को शासन की ओर से पैरवी करने के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक रायपुर नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम कुमार तिवारी, अतिरिक्त सचिव.

समाज कल्याण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 जून 2011

क्रमांक-एफ-7-22/2011/सक/26.—राज्य शासन एतद्द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2007 के नियम 21 के उप नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्ति को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग, दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय

रायपुर के आदेश क्रमांक एफ-1-स.क./2150, रायपुर दिनांक 26-09-2008 द्वारा नीचे दर्शाए अनुसार जिला के बाल कल्याण समिति में नियुक्त अध्यक्ष की नियुक्ति, इस्तीफा दिए जाने के कारण, समाप्त करती है :—

अनुसूची

अ. क्र. (1)	जिले का नाम (2)	क्षेत्र (3)	बालक कल्याण समिति का अध्यक्ष (4)
1.	कांकेर	कांकेर	श्री रवि तिवारी, अध्यक्ष बालक कल्याण समिति, कांकेर

No.-F-7-22/2011/SW/26.—In exercise of the power conferred by the sub rule 5 of the rule 21 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules 2007, the State Government hereby terminates the appointment of the Chairperson appointed through the Order No. F-1-S.W./2150, Raipur Dated : 26-09-2008 of Government of Chhattisgarh, Social Welfare Department, Dau Kalyan Singh Bhawan, Mantralaya Raipur in the Child Welfare Committee of the following district due to being resigned :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of the District (2)	Area (3)	Chairperson of the Child Welfare Committee (4)
1.	Kanker	Kanker	Shri Ravi Tiwari, Chairperson, Child Welfare Committee, Kanker.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. पी. राव, सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 जून 2011

क्रमांक एफ 20-112/2009/11/(6).—राज्य शासन एतद्द्वारा औद्योगिक नीति 2009-14 में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु अधिसूचित मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान योजना के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 01 नवंबर, 2009 से "छत्तीसगढ़ राज्य मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान नियम 2009" निम्नानुसार लागू करता है.

1. **परिचय** :— राज्य में स्थापित फूड प्रोसेसिंग से संबंधित रोजगार प्रधान पोहा मिल, ऑयल मिल एवं ऑयल एक्सट्रेक्शन प्लांट के उद्योगों को अन्य राज्यों की तुलना में प्रतिस्पर्धी बनाने उत्पादन लागत कम करने के लिए मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान योजना बनायी गई है जिसके क्रियान्वयन हेतु "छत्तीसगढ़ राज्य मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान नियम-2009" बनाये गये हैं जो सम्पूर्ण राज्य में दिनांक 01 नवंबर 2009 से लागू माने जावेंगे.

2. **परिभाषाएं** :— इस योजना के अंतर्गत नवीन उद्योग, विद्यमान उद्योग, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक, सामान्य वर्ग, अप्रवासी भारतीय/शत प्रतिशत एफ.डी.आई. निवेशक/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित उद्योग, विकलांग, महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति, कुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक तथा प्रबंधकीय/प्रशासकीय पद पर कार्यरत कर्मचारियों, राज्य के मूल निवासी एवं इस अधिसूचना के क्रियान्वयन हेतु अन्य आवश्यक परिभाषाएं वही होंगी जो औद्योगिक नीति 2009-14 के परिशिष्ट-1 पर दी गयी है.

वैध दस्तावेज में सम्मिलित है–लघु उद्योग पंजीयन/ई.एम. पार्ट–1/आई.ई.एम./औद्योगिक लायसेंस/आशय पत्र. इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु दस्तावेज की वैधता हेतु यह आवश्यक है कि दस्तावेज के निर्धारित वैधता अवधि में संबंधित उद्योग के पास भूमि का वैध आधिपत्य हो, या वैधता अवधि में उद्योग स्थापित करने हेतु बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से ऋण की स्वीकृति/सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त कर ली हो.

3. **पात्रता :—**

(1) औद्योगिक नीति 2009–14 की कालावधि दिनांक 01–11–2009 से 31–10–2014 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले समस्त पोहा मिल, ऑयल मिल एवं ऑयल एक्सट्रेक्शन प्लांट के नवीन सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तथा मध्यम उद्योगों को अनुदान की पात्रता होगी.

(2) औद्योगिक नीति 2009–14 के पूर्व जो विद्यमान सूक्ष्म एवं लघु तथा मध्यम उद्योग (पोहा मिल, ऑयल मिल एवं ऑयल एक्सट्रेक्शन प्लांट) उत्पादनरत् हैं, उन्हें दिनांक 01–11–2009 को/के पश्चात् विद्यमान उद्योग में विस्तार करने पर विस्तारित क्षमता हेतु अनुदान की पात्रता होगी.

(3) औद्योगिक नीति 2009–14 के पूर्व जो विद्यमान सूक्ष्म एवं लघु तथा मध्यम उद्योग उत्पादनरत् हैं उन्हें दिनांक 01–11–2009 को/के पश्चात् विद्यमान उद्योग में शवलीकरण, बैकवर्ड इंटीग्रेशन एवं फारवर्ड इंटीग्रेशन करते हुए यदि पोहा मिल, ऑयल मिल एवं ऑयल एक्सट्रेक्शन प्लांट स्थापित किया जाता है तो अनुदान की पात्रता होगी.

(4) उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से न्यूनतम 5 वर्ष की सीमा तक अकुशल श्रमिकों में न्यूनतम 90 प्रतिशत, उपलब्धता की स्थिति में कुशल श्रमिकों में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रबंधकीय/प्रशासकीय पदों पर न्यूनतम एक तिहाई रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किये जाने पर ही अनुदान की पात्रता होगी.

(5) इस योजना के अधीन पात्रता हेतु औद्योगिक इकाईयों का कृषि उपज मंडी समितियों से वैध अनुज्ञप्ति प्राप्त होना आवश्यक है.

(6) औद्योगिक इकाईयों द्वारा कृषि उपज मंडी समितियों से/समितियों के माध्यम से उनके उद्योग में लगने वाले कच्चे माल के क्रय एवं उसका उपयोग उत्पादन में करने पर ही अनुदान की पात्रता होगी.

(7) "मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान" का प्रथम स्वत्व पात्र औद्योगिक इकाईयों के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक/अधिसूचना जारी होने के दिनांक, जो पश्चात्वर्ती हो से एक वर्ष के भीतर पूर्ण रूपेण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है. पश्चात्वर्ती प्रकरणों में वित्तीय वर्ष समाप्त होने के 03 माह के भीतर पूर्ण रूपेण आवेदन प्रस्तुत किया जाना होगा.

प्रथम स्वत्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से वित्तीय वर्ष समाप्त होने के दिनांक तक की अवधि का होगा एवं पश्चात्वर्ती प्रकरण वित्तीय वर्षवार (01 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि तक) एवं अंतिम प्रकरण वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के दिनांक से पात्रता तिथि तक होगा.

(8) इस योजना के अन्तर्गत लाभ लेने हेतु यह आवश्यक है कि उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 वर्ष तक उद्योग उत्पादनरत रहे/कार्यरत रहें.

(9) विद्यमान उद्योग के विस्तार, शवलीकरण, बैकवर्ड इन्टीग्रेशन एवं फारवर्ड इन्टीग्रेशन से संबंधित प्रकरणों में उद्योग के पास कार्य प्रारंभ करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की पूर्व अभिस्वीकृति आवश्यक है.

4. **अनुदान की मात्रा :—** औद्योगिक इकाई द्वारा अपने उद्योग में उत्पादन हेतु कृषि उपज मंडी समितियों से/के माध्यम से किये गये आवश्यक कच्चे माल के क्रय हेतु भुगतान किये गये मंडी शुल्क के 50 प्रतिशत अनुदान राशि की प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी, जिसकी अधिकतम सीमा रु. 5.00 लाख वार्षिक होगी जो नवीन/विद्यमान उद्योग में विस्तार/शवलीकरण/बैकवर्ड इंटीग्रेशन/फारवर्ड इंटीग्रेशन पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि हेतु दी जावेगी.

मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान में कच्चे माल पर भुगतान किये गये मंडी शुल्क को ही सम्मिलित किया जायेगा. कच्चे माल के परिवहन पर किये गये ट्रांसपोर्टिंग व्यय, मजदूरी, निराश्रित सहायता एवं अन्य व्यय सम्मिलित नहीं होंगे.

5. **प्रक्रिया व अधिकार :—**

5.1 औद्योगिक इकाईयों को उपाबंध-1 अनुसार निर्धारित आवेदन पत्र में निम्नांकित दस्तावेजों के साथ संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में आवेदन करना होगा जिसकी प्राप्ति की रसीद उपाबंध-5 में निर्धारित प्रारूप में कार्यालय द्वारा दी जावेगी.

(1) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई. एम. पार्ट-1/आई.ई.एम.

(2) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई. एम. पार्ट-2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र तथा विद्यमान उत्पादनरत औद्योगिक इकाईयों के विस्तार, शवलीकरण एवं फारवर्ड इंटीग्रेशन एवं बैकवर्ड इंटीग्रेशन से संबंधित प्रकरणों में संबंधित परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ करने के पूर्व एवं परियोजनाओं में उत्पादन प्रारंभ होने के पश्चात् स्थायी पंजीयन/ई.एम.पार्ट-2/वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा इंद्राज.

(3) उपाबंध-3 में निर्धारित प्रारूप पर मंडी शुल्क के भुगतान से संबंधित व्यय से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड/कृषि उपज मंडी समिति का प्रमाण पत्र एवं सूची.

(4) उपाबंध-4 में कृषि उपज मंडी समिति से क्रय किये गये आवश्यक कच्चे माल का विवरण.

(5) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र.

(6) विकलांग से संबंधित प्रकरणों में विकलांगता से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र.

(7) सेवानिवृत्त सैनिक से संबंधित प्रकरणों में संबंधित शासकीय विभागीय/कार्यालय से सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र.

(8) नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति से संबंधित प्रकरणों में जिले के कलेक्टर अथवा उनके द्वारा नामांकित अधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र.

(9) कृषि उपज मंडी समिति का अनुज्ञा पत्र.

5.2 पात्र औद्योगिक इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के उपरांत ई.एम. पार्ट-2 दाखिल करने तथा उत्पादन प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में आवेदन प्रस्तुत किया जावेगा. पूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा उपाबंध-5 में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र प्राप्ति की अभिस्वीकृति दी जावेगी.

5.3 मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में सहायक प्रबंधक स्तर के अधिकारियों से प्रस्तुत स्वत्व का परीक्षण एवं स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन "उपाबंध-4" के अनुसार कराकर "स्वत्व" के नियमों के अधीन होने पर "उपाबंध-6" में निर्धारित प्रारूप पर "स्वीकृति आदेश" जारी किया जावेगा.

मध्यम उद्योगों के प्रकरणों में प्रबंधक स्तर के अधिकारियों से निरीक्षण करवाकर अपने अभिमत के साथ आवेदन पत्र सत्यापित सहपत्रों सहित पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 30 दिवसों के भीतर उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय को प्रेषित किया जावेगा जिस पर अपर संचालक उद्योग/संयुक्त संचालक द्वारा स्वत्वों के नियमों के अधीन होने पर "उपाबंध-6" में निर्धारित प्रारूप पर स्वीकृति आदेश जारी किया जावेगा.

सूक्ष्म एवं लघु तथा मध्यम उद्योगों का स्वत्व नियमानुसार न होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्तीकरण आदेश जारी किया जावेगा, जिसमें स्वत्व के "निरस्तीकरण" का कारण व निरस्तीकरण आदेश से औद्योगिक इकाई के सहमत न होने की स्थिति में निर्धारित कालावधि 45 दिवसों में अपीलीय अधिकारी को अपील करने संबंधी प्रावधान का भी उल्लेख होगा.

5.4 मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान की स्वीकृति के पश्चात् उद्योग संचालनालय द्वारा मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान के बजट का आवंटन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों से प्राप्त मांग के आधार पर बजट उपलब्ध होने पर किया जावेगा.

5.5 जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा बजट आवंटन उपलब्ध होने पर ही औद्योगिक इकाई को स्वीकृत अनुदान की राशि वितरित की जावेगी. अनुदान का वितरण "अनुदान स्वीकृति" के दिनांक के क्रम में किया जावेगा.

5.6 बजट आवंटन उपलब्ध न होने पर अनुदान राशि देने में होने वाले विलंब का कोई दायित्व विभाग का नहीं होगा.

5.7 राज्य के मूल निवासियों को स्थायी नियोजन पर प्रदाय किये गये रोजगार के सत्यापन की प्रक्रिया उद्योग संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 164/औनीप्र/उसंचा-रा/2005/9766-81 दिनांक 13 जून 2006 के अनुसार की जावेगी.

6. **मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान की वसूली :—**

6.1 यदि यह पाया जाता है कि औद्योगिक इकाई द्वारा कोई तथ्य छुपाये गये हैं या तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है और इस प्रकार गलत तरीके से अनुदान प्राप्त किया गया है तो अनुदान की पूर्ण राशि मय ब्याज, एकमुश्त वसूली योग्य हो जावेगी व यह वसूली भू-राजस्व के बकाया की वसूली के अनुसार की जा सकेगी. ब्याज की दर, वसूली आदेश जारी होने के दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लागू पी.एल.आर. से 2 प्रतिशत अधिक होगी तथा पूर्ण वसूली के दिनांक तक ब्याज देय होगा.

6.2 अपर संचालक/संयुक्त संचालक, उद्योग संचालनालय/मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को यह अधिकार होगा कि मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान का स्वत्व स्वीकृत होने के पश्चात् भी नियमानुसार नहीं पाये जाने पर मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान का स्वीकृति आदेश निरस्त कर सकें एवं वसूली आदेश जारी कर सकें/जारी करने के आदेश दे सकें.

6.3 औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य के मूल निवासियों को निर्धारित प्रतिशत में रोजगार उपलब्ध कराने के पश्चात् यदि बाद में रोजगार से वंचित किया जाता है व इस कारण अकुशल, कुशल व प्रबंधकीय/प्रशासकीय वर्ग में दिये जाने वाले रोजगार का प्रतिशत उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 3 (4) में उल्लेखित प्रतिशत से कम हो जाता है तो अनुदान की राशि वसूल की जा सकेगी.

6.4 एक बार मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान प्राप्त करने के पश्चात् यदि पश्चात्वर्ती वर्षों में उद्योग बंद कर दिया जाता है तो बंद अवधि हेतु मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान नहीं दिया जा सकेगा.

6.5 छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड, रायपुर/कृषि उपज मंडी समिति से अनुज्ञप्ति निरस्त किये जाने पर अथवा मंडी अधिनियम/नियम/उपविधि के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर अनुदान की राशि वसूल की जा सकेगी.

7. **अपील/वाद :—**

(1) मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी किसी आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय को प्रस्तुत की जा सकेगी, किन्तु यदि आयुक्त, उद्योग संचालनालय ही भारसाधक सचिव (अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव) छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग हैं तो प्रथम अपील अपर संचालक, उद्योग संचालनालय को प्रस्तुत की जावेगी.

(2) प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील भारसाधक सचिव (अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव) छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को प्रस्तुत की जा सकेगी.

(3) सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में अपील शुल्क रुपये 1000/- एवं मध्यम उद्योगों के प्रकरणों में रुपये 2000/- का भुगतान करने पर ही अपील स्वीकार होगी. अपील शुल्क का भुगतान प्रथम अपील के साथ देय होगा. द्वितीय अपील पर कोई शुल्क देय नहीं होगा. अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रकरणों में कोई अपील शुल्क देय नहीं होगा.

शुल्क जमा किये जाने के लिये बजट शीर्ष निम्नानुसार होंगे :—

- राज्य स्तर के प्रकरणों हेतु — बजट शीर्ष - 0852 उद्योग (80)
  उपभोक्ता (उद्योग)
  800 - (अन्य प्राप्तियां)
  0674 - अन्य प्राप्तियां

जिला स्तर के प्रकरणों हेतु	बजट शीर्ष - 0851 उद्योग (80) उपभोक्ता (उद्योग) 800 - (अन्य प्राप्तियां) 0674 - अन्य प्राप्तियां

(4) अपील शुल्क का भुगतान "निर्धारित हेड" के तहत स्वीकार करते हुए चालान के द्वारा स्वत्व निरस्तीकरण अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त किया जावेगा/जमा किया जावेगा.

(5) कोई भी अपील आदेश जारी होने के 45 दिवसों के भीतर करनी होगी.

(6) अपीलीय अधिकारी को अपील करने में हुए विलंब तथा अनुदान हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में हुये विलंब एवं अधिसूचना के अधीन किसी अन्य बिन्दु पर प्रकरण के गुण-दोष के आधार पर विचार कर निर्णय लेने का अधिकार होगा. अपीलीय अधिकारी द्वारा तथ्यों के आधार पर तथा अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का एक अवसर प्रदान करते हुये अपील प्रकरण का निराकरण किया जावेगा.

8. **स्वप्रेरणा से निर्णय :—** राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय किसी भी अभिलेख को बुला सकेंगे तथा ऐसे आदेश पारित कर सकेंगे जैसा कि वे उचित समझें, परन्तु अनुदान को निरस्त करने या उसमें कमी करने के पूर्व प्रभावित पक्ष को सुनवाई का एक अवसर अवश्य दिया जावेगा.

9. **कार्यकारी निर्देश :—** योजना के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग सक्षम होंगे. अनुदान से संबंधित किसी मुद्दे पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा मार्गदर्शन मांगे जाने पर उद्योग आयुक्त/उद्योग संचालनालय द्वारा मार्गदर्शन दिया जावेगा.

10. नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य विवाद की दशा में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा.

11. इस योजना के अन्तर्गत कोई वाद होने पर छत्तीसगढ़ राज्य के न्यायालय में ही वाद दायर किया जा सकेगा.

12. **योजना का क्रियान्वयन :—**
योजना का क्रियान्वयन उद्योग संचालनालय व उनके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जावेगा.

वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 407/सी.एन. 29976/बजट-5/वित्त/चार 2010 दिनांक 12-08-2010 द्वारा सहमति दी गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, संयुक्त सचिव.

उपाबंध-1
देखें (नियम 5.1)

(छत्तीसगढ़ राज्य मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान नियम 2009 के अन्तर्गत अनुदान हेतु आवेदन पत्र)

1. औद्योगिक इकाई का नाम व पता —
2. फैक्ट्री स्थल — स्थान —
विकासखंड —
जिला —
3. उद्यमी का वर्ग—
4. औद्योगिक इकाई का संगठन —
5. ई.एम.पार्ट-1 एवं ई.एम.पार्ट-2 क्रमांक

6. वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण-पत्र क्रमांक

7. उत्पाद व वार्षिक उत्पाद क्षमता एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक

8. स्थायी पूंजी निवेश (रु. लाखों में)

9. छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड/कृषि उपज मंडी समिति का अनुज्ञप्ति क्रमांक—

10. भुगतान किया गया मंडी शुल्क का विवरण—
   7.1 पाक्षिक अवधि — दिनांक .... से .... तक
   7.2 क्रय किये गये कच्चे माल की मात्रा एवं मूल्य—
   7.3 भुगतान किया गया मंडी शुल्क—

11. अनुदान की क्लेम राशि (50 प्रतिशत राशि)—

12. **रोजगार**—

श्रम वर्ग	रोजगार क्षमता	प्रदत्त रोजगार	राज्य के मूल निवासियों को दिया गया रोजगार	प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियों को दिये गये रोजगार का प्रतिशत
1	2	3	4	5
अकुशल वर्ग				
अ				
ब				
स				
कुशल वर्ग				
अ				
ब				
स				
प्रबंधकीय/प्रशासकीय वर्ग				
अ				
ब				
स				
योग				

स्थान :
दिनांक :

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम
पद
पदमुद्रा
औद्योगिक इकाई का नाम व पता

शपथ-पत्र

मैं . . . . आत्मज . . . . प्रबंध संचालक/संचालक/एकल स्वामी/ साझेदार, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, औद्योगिक इकाई . . . . जिसका पंजीकृत पता . . . . है व फैक्ट्री . . . . में स्थित है व ई. एम. पार्ट-1 क्रमांक . . . . दिनांक . . . . एवं ई. एम. पार्ट-2 क्रमांक . . . . दिनांक . . . ./वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण-पत्र क्रमांक . . . . है, निम्नानुसार घोषणा करता हूं—

1. औद्योगिक इकाई . . . . की वार्षिक उत्पादन क्षमता . . . . की है एवं जिसके लिए मुख्य कच्चा . . . . की वार्षिक आवश्यकता . . . . है.

2. औद्योगिक इकाई द्वारा अवधि (पाक्षिक) . . . . में कच्चा माल . . . . का कुल क्रय . . . . मात्रा में किया गया है जिसमें से कृषि उपज मंडी समितियों से/के माध्यम से किये गये क्रय की मात्रा . . . . है एवं इस प्रयोजन हेतु रु. . . . . का मंडी शुल्क का भुगतान संबंधित कृषि उपज मंडी समितियों . . . . किया गया है.

4. यह भी शपथ पूर्वक घोषित किया जाता है कि उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से न्यूनतम पांच वर्ष की अवधि तक अकुशल, कुशल एवं प्रबंधकीय/प्रशासकीय वर्ग में क्रमश: 90 प्रतिशत, 50 प्रतिशत एवं एक तिहाई रोजगार राज्य के मूल निवासियों को दिया जाता रहेगा.

5. औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य शासन के किसी विभाग से मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान हेतु कोई आवेदन नहीं किया है एवं न ही अनुदान प्राप्त किया है.

या

औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य सरकार के किसी विभाग से मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान हेतु आवेदन किया है/अनुदान प्राप्त किया है.

6. उपरोक्त जानकारी गलत/त्रुटिपूर्ण/मिथ्या पाये जाने पर अन्यथा किसी भी घोषणा का उल्लंघन पाये जाने पर या स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान स्वीकृति आदेश निरस्त कर अनुदान की राशि वापसी की मांग की जाती है तो 15 दिवसों के भीतर महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को अनुदान राशि मय निर्धारित ब्याज वापस की जावेगी.

स्थान : हस्ताक्षर

दिनांक : नाम

पद

पदमुद्रा

औद्योगिक इकाई का नाम व पता

उपाबंध-3

देखें [नियम 5.1 (3)]

(मंडी शुल्क से संबंधित प्रमाण-पत्र)
(लेटर हैड पर मूल प्रति में)

औद्योगिक इकाई .... जिसका पंजीकृत पता .... है व फैक्ट्री .... में स्थित है, जिसका ई. एम. पार्ट-1 क्रमांक .... दिनांक .... एवं ई. एम. पार्ट-2 क्रमांक .... दिनांक .... एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण-पत्र क्रमांक .... है, ने अवधि दिनांक .... से .... अवधि तक कृषि उपज मंडी समिति .... को कच्चे माल .... के क्रय हेतु रुपये .... मंडी शुल्क के रूप में भुगतान किया गया है, जो निम्नानुसार प्रमाणित किया जाता है :—

क्र.	कृषि उपज मंडी समिति का नाम	दिनांक	क्रय किये गये कच्चे माल का नाम व मात्रा	कच्चे माल की क्रय राशि (रुपये में)	भुगतान किये गये मंडी शुल्क की राशि (रुपये में)
1	2		3	4	5
1					
2					
3					
4					
योग					

स्थान :
दिनांक :

सक्षम प्राधिकारी
कृषि उपज मंडी समिति

औद्योगिक इकाई का नाम व पता
अधिकृत व्यक्ति का नाम
पदनाम
हस्ताक्षर
पदमुद्रा

उपाबंध-4

देखें (नियम 5.3)

निरीक्षण अधिकारी की टीप व अभिमत

1. औद्योगिक इकाई का नाम व पता —
2. फैक्ट्री स्थल —
   स्थान —
   विकासखंड —
   जिला —
3. ई. एम. पार्ट-1 क्रमांक .... दिनांक ....
   एवं ई. एम. पार्ट-2 क्रमांक .... दिनांक ..../
   वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक—

4. उत्पाद व वार्षिक उत्पाद क्षमता—
एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक—
5. स्थायी पूंजी निवेश (रु. लाखों में) —
6. भुगतान किया गया मंडी शुल्क का विवरण—
   7.1 पाक्षिक अवधि—दिनांक . . . . से . . . . तक
   7.2 क्रय किये गये कच्चे माल की मात्रा एवं मूल्य—
   7.3 भुगतान किया गया मंडी शुल्क—
8. अनुदान की क्लेम राशि (50 प्रतिशत राशि)—
7. उद्योग वर्तमान में कार्यरत/बंद है.
8. **रोजगार—**

श्रम वर्ग	रोजगार क्षमता	प्रदत्त रोजगार	राज्य के मूल निवासियों को दिया गया रोजगार	प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियों को दिये गये रोजगार का प्रतिशत
1	2	3	4	5
अकुशल वर्ग				
अ				
ब				
स				
कुशल वर्ग				
अ				
ब				
स				
प्रबंधकीय/प्रशासकीय वर्ग				
अ				
ब				
स				
योग				

3. औद्योगिक इकाई द्वारा मंडी शुल्क के रूप में राशि रु. . . . . का भुगतान किया गया है जिसमें से रु. की राशि अमान्य की जाती है एवं अनुदान हेतु मान्य राशि रु. . . . . है. राशि अमान्य किये जाने के कारण निम्नानुसार है :—
1-
2-
3-
4-

4. अभिमत/अनुशंसा

स्थान :
दिनांक :

निरीक्षणकर्ता अधिकारी के
हस्ताक्षर
नाम
पद
पदमुद्रा

उपाबंध-6

देखें (नियम 5.3)

मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान योजना के अंतर्गत स्वीकृति आदेश उद्योग संचालनालय/जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

(वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक . . . . के अधीन)

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक दिनांक द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान नियम 2009 के नियम क्रमांक "5.3" में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये इन नियमों के अधीन निम्नानुसार मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति एतद्द्वारा जारी की जाती है.

1- औद्योगिक इकाई का नाम व पता
2- उद्योग का संगठन
3- उद्यमी का वर्ग
4- उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता
5- वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक
6- औद्योगिक इकाई का कार्यस्थल
(स्थान, विकासखंड व जिला)
7- मंडी शुल्क के रूप में भुगतान की गई राशि
8- स्वीकृत अनुदान राशि (अंकों व अक्षरों में)

(2) यह राशि वित्तीय वर्ष- . . . . के निम्न बजट शीर्ष में विकलनीय होगी
मांग संख्या—
. . . .

(3) यह स्वीकृति इन शर्तों के अधीन है कि औद्योगिक इकाई को अधिसूचना की समस्त कंडिकाओं का पालन करना होगा, कंडिकाओं के उल्लंघन पर स्वीकृति आदेश निरस्त किया जावेगा.

अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उद्योग
संचालनालय, छत्तीसगढ़/
मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र . . . .

उपाबंध-5

देखें (नियम 5.1)

(अभिस्वीकृति)

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र . . . .

मेसर्स . . . . पता . . . . द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान नियम 2009 . . . . के अन्तर्गत आवेदन दिनांक . . . . (अक्षरी) . . . . को प्राप्त हुआ है. प्रकरण का पंजीयन क्रमांक . . . . है. भविष्य में पत्राचार में इस पंजीयन क्रमांक का उल्लेख करें.

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर
पद
पदमुद्रा

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 मई 2011

विभागीय परीक्षा माह अगस्त, 2011 का सूचना तथा कार्यक्रम

क्रमांक एफ 9-54/दो-गृह/सामान्य (परीक्षा)/2011.—छत्तीसगढ़ शासन के उन अधिकारियों को (जिनके लिये विभागों द्वारा विभागीय परीक्षा निर्धारित की गई हो) विभागीय परीक्षा सोमवार, दिनांक 01 अगस्त से 06 अगस्त, 2011 तक रायपुर/बिलासपुर/बस्तर (जगदलपुर) तथा सरगुजा संभाग के आयुक्तों द्वारा नियत किये जाने वाले स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के अनुसार होगी. नीचे सूची में दर्शाये अनुसार विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष अपनी जानकारी उपरोक्तानुसार संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को उपलब्ध करायें.

सोमवार, दिनांक 01-08-2011

क्रमांक (1)	प्रश्नपत्र (2)	समय (3)
1.	पहला प्रश्नपत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
2.	पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम तथा नियम की पुस्तकों सहित)	
3.	विधि तथा प्रक्रिया-उत्पादन शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
4.	विधि तथा प्रक्रिया-विक्रय कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित)	
5.	पहला प्रश्नपत्र-सहकारिता (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये	
59.	विद्युत संबंधी विधियां-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
	सोमवार, दिनांक 01-08-2011	
6.	दूसरा प्रश्नपत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना भू-अभिलेख विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
7.	दूसरा प्रश्नपत्र सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
8.	समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
60.	भू-योजना तथा विद्युत सुरक्षा-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के)	

मंगलवार, दिनांक 02-08-2011

(1)	(2)	(3)
9.	पहला प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-"ए" आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
10.	पहला प्रश्नपत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-"बी".	
11.	पहला प्रश्नपत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-"सी".	
12.	उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये	
13.	प्रश्नपत्र-खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित) (नैसर्गिक संसाधन) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
14.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-प्रथम प्रश्नपत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना-पुस्तकों के).	
61.	विद्युत संस्थापनायें ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये. (बिना-पुस्तकों के)	
	मंगलवार, दिनांक 02-08-2011	
15.	दूसरा प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व भू-अभिलेख, आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
16.	प्रक्रिया विकास योजनाओं राज्यों के साधनों राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
17.	तीसरा प्रश्नपत्र बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये	
18.	समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
19.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-द्वितीय प्रश्नपत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
62.	लेखा व स्थापना ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
	बुधवार, दिनांक 03-08-2011	
20.	तीसरा प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया, राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
21.	पुस्तपालन तथा कर निर्धारण विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	

बुधवार, दिनांक 03-08-2011

(1)	(2)	(3)
22.	प्रश्नपत्र प्रथम वन विधि (बिना पुस्तकों के) सहायक वन संरक्षकों के लिये	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
23.	पहला प्रश्नपत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये	
24.	पुलिस अधिकारियों की "व्यवहारिक शाखा" प्रश्नपत्र	
63.	स्विच गेयर तथा संरक्षण ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	

बुधवार, दिनांक 03-08-2011

25.	कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया-विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
26.	सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	
27.	पुलिस अधिकारियों की "पुलिस शाखा" प्रश्नपत्र (बिना पुस्तकों के)	
28.	दूसरा प्रश्नपत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
29.	तीसरा प्रश्नपत्र सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिये.	
30.	स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
31.	चौथा प्रश्नपत्र सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1, लेखा भाग-2 सहकारिता लेखा परीक्षण सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
32.	समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित) आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
64.	विद्युत रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्ट इंशुलेशन को-आर्डिनेशन व हजार्ड एस. एरिया ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री (वि. सु.) के लिये (बिना पुस्तकों के)	

गुरुवार, दिनांक 04-08-2011

33.	प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब-तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
34.	प्रश्नपत्र-प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के) आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
35.	प्रश्नपत्र-प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
36.	प्रश्नपत्र न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के) पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये	

गुरुवार, दिनांक 04-08-2011

(1)	(2)	(3)
37.	लेखा (पुस्तकों सहित) उत्पाद शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये	
38.	लेखा (लेखा पुस्तकों सहित) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
39.	लेखा (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये	
40.	लेखा (पुस्तकों सहित) नैसर्गिक संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिये	
	गुरुवार, दिनांक 04-08-2011	
41.	लेखा (पुस्तकों सहित) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये	
42.	द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा (पुस्तकों सहित) डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
43.	द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा (पुस्तकों सहित) आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
44.	द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा (पुस्तकों सहित) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
	शुक्रवार, दिनांक 05-08-2011	
45.	सिविल पशुचिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये प्रश्नपत्र भाग-1 (बिना पुस्तकों के) पशुचिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.	
46.	प्रथम प्रश्नपत्र लेखा भाग-1 मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
47.	प्रथम प्रश्नपत्र लेखा (पुस्तकों सहित) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
48.	प्रथम प्रश्नपत्र विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) डेयरी विभाग के अधिकारियों के लिये	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
49.	प्रश्नपत्र-द्वितीय छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
50.	द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये	
65.	पंचायत राज प्रशासन (विधि तथा प्रक्रिया) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकास खण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, विकास खंड अधिकारी के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिये.	

शुक्रवार, दिनांक 05-08-2011

(1)	(2)	(3)
51.	सिविल पशुचिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों का लेखा प्रश्नपत्र भाग-2 पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
52.	प्रश्नपत्र लेखा भाग-2 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये	
53.	सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों' के लिये किसी मामले में आदेश/प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित)	
54.	तृतीय प्रश्नपत्र प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
55.	द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) कृषि कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
56.	द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये	
57.	प्रश्नपत्र तृतीय अनु. जाति तथा आदिवासी (अनु. जनजाति) विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
	शनिवार, दिनांक 06-08-2011	
58.	हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.

नोट :-

1. सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्य, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और राजस्व आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधित नियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ 3-54/98/दो-ए (3), दिनांक 19-03-99 एवं एफ 3-102/90/दो-ए (3) के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी. नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से रखा गया है.

2. उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें लानी होगी.

3. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपना नाम उचित माध्यम से सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये. यह भी स्पष्ट किया जावे कि परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का भी उल्लेख किया जावे.

4. सामान्य प्रशासन विभाग (हरिजन आदिवासी सेल) के ज्ञापन क्रमांक 1/15/77/-1/ह.स. से दिनांक 15 जनवरी, 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. अत: ऐसे परीक्षार्थी तत्संबंध में अपना प्रमाण-पत्र अपने संबंधित परीक्षा केन्द्र के आयुक्तों को प्रस्तुत करेंगे.

   इन प्रमाण-पत्रों को गृह (सामान्य) विभाग, (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) को नहीं भेजे जावें. संबंधित विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष/परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ प्रमाण-पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 18-07-2011 तक भेजेंगे. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण-पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से संबंधित परीक्षा केन्द्र आयुक्त को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. ये प्रमाण-पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे.

5. समस्त परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण-पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनको शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एन. उपाध्याय, सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 25 जून 2011

क्रमांक/4476/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	लाटमेटा प. ह. नं. 30	0.405	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), राजनांदगांव.	घुपसाल मुख्य सड़क से लाटमेटा तक सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 25 जून 2011

क्रमांक/4477/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	घुपसाल प. ह. नं. 31	0.960	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), राजनांदगांव.	घुपसाल मुख्य सड़क से लाटमेटा तक सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 25 जून 2011

क्रमांक/क/भू-अर्जन/06/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	बस्तर	देवड़ा	0.16	कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन संभाग, जगदलपुर.	कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत सोनारपाल वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर अथवा कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 25 जून 2011

क्रमांक/क/भू-अर्जन/07/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	बस्तर	सिवनी	1.77	कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन संभाग, जगदलपुर.	कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत आमागुड़ा माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर अथवा कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 16 जून 2011

क्रमांक/5064/प्र.1/अ.वि.अ./2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-साजा
- (ग) नगर/ग्राम-किरकी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.69 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
226	0.64
227	0.64
371	0.01
370/1-2	0.12
224/1	0.15
228/1	0.24
228/2	0.24
317	0.80
319	0.12
320	0.10
318/1	0.12
318/2	0.11
318/3	0.13
321	0.27
325	0.14
322	0.19
323	0.08
327	0.34
329	0.42
328	0.11
330	0.59
331	0.23
335	0.61
334	0.09
332/1	0.01
374	0.03
378/1	0.01
375	0.07
376/1	0.01
381/1	0.01
381/2	0.01
379	0.14
394	0.03
395	0.03
396	0.05
400	0.06
406	0.04
407	0.03
408	0.05
333/1	0.01
316	0.01
229	0.41
314	0.19
योग 43	7.69

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-किरकी जलाशय के डुबान एवं नहर निर्माण में भूमि अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीना बाबा साहेब कंगाले, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 25 जून 2011

क्रमांक/4478/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-छुरिया

(ग) नगर/ग्राम-करमरी, प. ह. नं. 38

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.081 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	3	0.081
योग	1	0.081

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रतनभाट करमरी मार्ग पर मोतीनाला पुल के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 25 जून 2011

क्रमांक/4479/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-छुरिया

(ग) नगर/ग्राम-महरूम, प. ह. नं. 67

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.760 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	228/23	0.081
	228/1	0.101
	227/1-2	0.121
	226/12	0.162
	226/11	0.142
	226/9	0.061
	226/7	0.040
	226/6	0.032
	235/7	0.020
योग	9	0.760

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोतीनाला व्यपवर्तन की मुख्य नहर एवं पतोरा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 25 जून 2011

क्रमांक/4480/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-डोंगरगांव

(ग) नगर/ग्राम-दर्री, प. ह. नं. 16

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.45 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	46	0.45
योग	1	0.45

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोहका दर्री मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दन्तेवाड़ा, जिला द. ब. दंतेवाड़ा (छ. ग.)

दंतेवाड़ा, दिनांक 11 मई 2011

प्रारूप-ख

[नियम 5 का उपनियम (1) देखें]

क्रमांक/819/अविअ/स.प्रा./भू-अर्जन/2011.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची में उल्लेखित अनुसार ग्रामों के निजी एवं शासकीय भूमि पर मेसर्स एस्सार स्टील लिमिटेड किरन्दुल द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिये.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना के संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दन्तेवाड़ा जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.		खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	कुआकोण्डा	किरन्दुल/प.ह.नं. 6		**निजी भूमि**	**निजी**
				44	0.040
				45/1	0.136
				49/1	0.036
				51/1	0.280
				73	0.089
				72/2	0.036
				92/1	0.012
			योग	**07**	**0.629**
				शासकीय भूमि	**शासकीय**
				41	0.048
				42	0.036
				68	0.008
				69	0.256
				93	0.012
			योग	**5**	**0.360**
			महायोग	**12**	**0.989**

(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	कुआकोण्डा	कोड़ेनार/प.ह.नं. 6		**निजी भूमि**	**निजी भूमि**
				16	0.128
				66	0.062
				70	0.025
				58	0.085
				59/3	0.085
				74	0.056
				61	0.065
				75	0.028
				53	0.050
				54	0.100
				55	0.035
				64	0.105
				67	0.020
				56/2	0.045
				56/1	0.040
			योग	**15**	**0.939**
				शासकीय	**शासकीय भूमि**
				1/125	0.012
			योग	**1**	**0.012**
			महायोग	**16**	**0.951**
	योग	**02 ग्राम**		**28**	**1.940**

नीरजकुमार बनसोड,
सक्षम प्राधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

कार्यालय, कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 मई 2008

क्रमांक/917/स.अ.भू.अ.-3/2008.—क्रमांक/915/स.अ.भू.अ.-3/2008 श्री सोनमणि बोरा कलेक्टर रायपुर छ.ग. शासन राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक एफ-6-43/2005/सात-तीन/05 रायपुर दिनांक 265 द्वारा छ.ग. भू.रा.संहिता 1959 की धारा 90 में विहित शक्तियों के तहत संहिता की धारा 68, 69, 70, 72 एवं 73 की शक्तियों के प्रयोग करने हेतु कलेक्टर को अधिकृत किये जाने के फलस्वरूप संबंधित धाराओं का

प्रयोग करते हुये जिला रायपुर के तहसील गरियाबंद के ग्राम नहरगांव प.ह.नं. 26 का पारा (मोहल्ला) तंवरबहरा को नहरगांव से अपवर्जित करके (तंवरबहरा हेतु प्रस्तावित निम्नानुसार क्षेत्रफल जनसंख्या समाविष्ट कर) पृथक राजस्व ग्राम घोषित किया गया है.

1. ग्राम नहरगांव एवं तंवरबहरा का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की स्थिति निम्नानुसार होगी.

क्रमांक	विवरण	नहरगांव	तंवरबहरा
1.	जनसंख्या	704	305
2.	मवेशी संख्या	746	753
3.	कुल रकबा	447.00 हे.	340.80 हे.
4.	काश्तकारी रकबा	347.68 हे.	266.11 हे.
5.	नक्शा	4 शीट	4 शीट
6.	खसरा	4 प्रतियों में	4 प्रतियों में

2. उपरोक्त अपवर्जन के फलस्वरूप जिला रायपुर के तहसील गरियाबंद में राजस्व ग्रामों की संख्या 480 के स्थान पर 481 तथा जिलों के कुल ग्रामों क़ी संख्या 2118 के स्थान पर 2119 होगा.

सोनमणि बोरा,
कलेक्टर.

कार्यालय कलेक्टर, (भू-अभिलेख शाखा) बिलासपुर, छत्तीसगढ़

बिलासपुर, दिनांक 20 जून 2011

क्रमांक/1043/भू.अ./वन.अधि./एफ-04/2011.—छत्तीसगढ़ शासन का पत्र क्रमांक/मु.स./वन अधिकार पत्र/24108, दिनांक 8-2-2008 तथा छत्तीसगढ़ शासन आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर का पत्र क्रमांक/एफ-10-11/25-2/2008/आजावि, रायपुर दिनांक 11 अप्रैल 2011 की कंडिका के अनुपालन में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति हेतु पदेन सदस्यों के अतिरिक्त निम्न अशासकीय सदस्यों (जिला पंचायत सदस्यों) को समिति का सदस्य आगामी आदेश पर्यन्त नामित किया जाता है :—

1. श्री शंकर कंवर उपाध्यक्ष जिला पंचायत बिलासपुर क्षेत्र क्रमांक 20 गौरेला
2. श्रीमती मायारानी सिंह सदस्य जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 19 लोरमी
3. कुमारी समीरा पैकरा जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 21 पेण्ड्रा

वे जिला स्तर में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक में शामिल होकर कार्यवाही में भाग लेंगे.

राम सिंह,
कलेक्टर एवं अध्यक्ष.

कार्यालय, पुलिस अधीक्षंक, जिला बस्तर-जगदलपुर (छत्तीसगढ़)

जगदलपुर, दिनांक 9 जून 2011

क्रमांक-पु.अ./बस्तर/स्टेनो/267-A/11.—गृह पुलिस विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के आदेश क्रमांक एफ 1/31/दो-गृह/भापुसे/2007, दिनांक 02-06-2011 के परिपालन में 5वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल कंगोली, जगदलपुर के सेनानी श्री माईंग तुंगो तुगोई, (आई.पी.एस.) के अवकाश पर रहने के कारण आज दिनांक 09-06-2011 के पूर्वान्ह 5वीं वाहिनी छ.ग.स. बल जगदलपुर सेनानी का एक तरफा कार्य भार ग्रहण किया. सूचनार्थ सादर प्रेषित है.

सुन्दरराज. पी.,
पुलिस अधीक्षक.

राजस्व मण्डल छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 23 जून 2011

क्रमांक 643/स्थापना/रा.मं./2011.—पूर्व में इस कार्यालय के द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 810/स्थापना/रा.मं./2010 बिलासपुर दिनांक 11-6-2010 को अतिक्रमित करते हुये प्रशासकीय कारणों से अध्यक्ष एवं सदस्य, राजस्व मण्डल छत्तीसगढ़ के मध्य न्यायालयीन प्रकरणों की सुनवाई एवं निवर्तन हेतु निम्नानुसार कार्य विभाजन किये जाते हैं :—

राजस्व मण्डल की दो सदस्यीय पूर्ण पीठ होगी, जिसकी संरचना निम्नानुसार होगी :—

1. अध्यक्ष, राजस्व मंडल एवं
2. सदस्य, राजस्व मण्डल

(ब) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा-7 के अंतर्गत अंतर्निहीत शक्तियों के क्षेत्राधिकार के प्रकरण एवं अन्य अधिनियमों के अंतर्गत प्रकरण —

क्रमांक	अध्यक्ष/सदस्य	क्षेत्राधिकार
1.	श्री अजय पाल सिंह, अध्यक्ष, राजस्व मण्डल छ.ग.	राजस्व जिला बिलासपुर, सरगुजा (अंबिकापुर), कोरबा, रायगढ़, रायपुर, कवर्धा, कांकेर.
2.	डॉ. दुर्गेश चन्द्र मिश्रा, सदस्य, राजस्व मण्डल छ.ग.	राजस्व जिला धमतरी, जांजगीर-चांपा, दुर्ग, राजनांदगांव, बस्तर (जगदलपुर), दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा), बीजापुर, नारायणपुर, जशपुर, कोरिया, महासमुंद.

(स) **स्थगन आवेदन पत्र**

अध्यक्ष एवं सदस्य की अनुपस्थिति में उनके न्यायालय के स्थगन आवेदन पत्रों की सुनवाई की व्यवस्था निम्नानुसार की जायेगी—

क्रमांक	अनुपस्थित न्यायालयीन अध्यक्ष/सदस्य	सुनवाई हेतु न्यायालय
1.	श्री अजय पाल सिंह, अध्यक्ष, राजस्व मण्डल छ.ग.	डॉ. दुर्गेश चन्द्र मिश्रा, सदस्य, राजस्व मण्डल छ.ग.
2.	डॉ. दुर्गेश चन्द्र मिश्रा, सदस्य, राजस्व मण्डल छ.ग.	श्री अजय पाल सिंह, अध्यक्ष, राजस्व मण्डल छ.ग.

(द) विशेष परिस्थिति में प्रकरणों की सुनवाई एवं क्षेत्राधिकार के संबंध में अध्यक्ष, राजस्व मण्डल छत्तीसगढ़ के द्वारा निर्णय लिया जायेगा.

(इ) प्रकरण की सुनवाई हेतु नियत दिवस निम्नानुसार है—

क्रमांक	अध्यक्ष/सदस्य	क्षेत्राधिकार
1.	श्री अजय पाल सिंह, अध्यक्ष, राजस्व मण्डल छ.ग.	1. सर्किट कोर्ट, रायपुर सामान्यत: सोमवार एवं मंगलवार
		2. राजस्व मण्डल मुख्यालय, बिलासपुर सामान्यत: गुरुवार एवं शुक्रवार
2.	डॉ. दुर्गेश चन्द्र मिश्रा, सदस्य, राजस्व मण्डल छ.ग.	1. सर्किट कोर्ट, रायपुर सामान्यत: बुधवार, गुरुवार एवं शुक्रवार
		2. राजस्व मण्डल मुख्यालय, बिलासपुर सामान्यत: माह के (अंतिम सप्ताह को छोड़कर) प्रत्येक सप्ताह के सोमवार एवं मंगलवार.

(ई) प्रकरण की सुनवाई हेतु नियत समय—

1. न्यायालयीन प्रकरणों की सुनवाई कार्य दिवसों में सामान्यत: प्रात: 11.00 बजे से प्रारंभ होकर अपरान्ह 2.00 बजे तक.
2. सामान्यत: शनिवार को प्रकरणों की सुनवाई नहीं होगी.

(उ) प्रकरणों के पंजीकरण की व्यवस्था पूर्ववत् रहेगी.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

अजय पाल सिंह,
अध्यक्ष.

संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी छत्तीसगढ़

बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, तेलीबांधा रेल्वे क्रासिंग के पास, जी. ई. रोड, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 जून 2011

क्र./उ./तक./बीज.गु.नि.अनुज्ञा/2011-12/3386.—छ.ग. शासन, कृषि विभाग, मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, मंत्रालय रायपुर के पत्र क्र. 2288/एफ-10-9/बीज/2010/14-2/दि. 17-06-2011 के माध्यम से जारी की गई अधिसूचना पृ.क्र./2287/एफ-10-09/बीज/2010/14-2, रायपुर दिनांक 17-06-2011 द्वारा राज्य स्तरीय उद्यानिकी बीज विक्रय अनुज्ञप्ति जारी करने की कार्यवाही हेतु संचालनालय में पदस्थ निम्नानुसार अधिकारियों/कर्मचारियों को अन्य आगामी आदेश पर्यन्त तक नियुक्त किया जाता है.

क्र.	नाम	पद	कार्य विवरण
1.	डॉ. सी.एस.राय	संयुक्त संचालक उद्यान	राज्य बीज अनुज्ञा अधिकारी
2.	श्री नीरज कुमार शाहा	वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी	पटल प्रभारी
3.	श्री रविन्द्र कुमार मेहरा	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	कक्ष प्रभारी

उपरोक्तानुसार अधिकारी/कर्मचारी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (क्रमांक 10 सन् 1955) की धारा 3 के अधीन बीज अधिनियम, 1966, 1968 एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के अनुसार राज्य स्तर पर उद्यानिकी बीज विक्रय की अनुज्ञा जारी करने संबंधी कार्यवाही करेंगे.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

आलोक कटियार,
संचालक.